न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 255 / 2026
कुनौली थाना कांड सं0– 127 / 2025

	सोमन पासवान पे0 स्व0 छोटकन पासवान **सा0– कुनौली, वार्ड नं0 14, थाना– कुनौली, जिला–सुपौल.....आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी**	
24/04/26	काराधीन अभियुक्त सोमन पासवान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार भारती द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त को ग्रामीण राजनीति के तहत् झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उनपर को विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि विरुद्ध अनुसंधान के क्रम में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है। उभय पक्ष आपस में गोतिया है तथा जमीन विवाद को लेकर प्रस्तुत मुकदमा किया गया है एवं प्रस्तुत मुकदमा का पलटा मुकदमा कुनौली थाना कांड सं0 128 / 25 दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 19 / 01 / 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है, अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद, सूचक शिबू पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 6 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 109,7 4, 351(2), 351(3), 352, 3(5) में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 06 / 12 / 2025 को सुबह के करीब 7 बजे वह पुवाल लेकर रास्ते से होकर जा रहा था पुवाल गिर गया तभी प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 6 अभियुक्तगण सूचक को गाली गलौज करते हुए लाठी, लोहा के रॉड से जान लेवा हमला कर दिया तथा सूचक को जमीन पर पटक कर लाठी लोहा का रॉड से अंधाधून्ध मारने लगा। सोमन पासवान लोहा का रॉड से उसके सिर पर मारकर सिर फोड़ दिया जिससे खून बहने लगा। टेटन कुमार पासवान धर्मेन्द्र पासवान लाठी से बांया हाथ पर मारा। सूचक के मार खाता देख इनकी मां अनिता देवी एवं इनके पिता देवन पासवान बचाने आये तो रीता देवी एवं गीता देवी इनके मां–पिताजी को भी मरपीट कर घायल कर दिया एवं सभी जान से मारने का धमकी भी दिया। सूचक अपना एवं अपनी मां का इर्लाल कराने के बाद थाना में आवेदन दिया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी प्रार्थी अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक एवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ गाली–गलौज, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। कांड दैनिकी के कंडिका 7, एवं 9 में जख्मी साक्षीगण अनिता देवी, देवन पासवान का बयान दर्ज है जिन्होंने गाली–गलौज मारपीट की घटना होने की बात बतायी है तथा जब अनुंसधानकर्ता ने इनसे ईलाज का पूर्जा की मांग की गयी तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हें कोई चोट या जख्म नहीं हुआ है इसी तरह का बयान साक्षी सागर पासवान ने अपने बयान कंडिका 9 में दिया है तथा साक्षियों ने इसके अलावे अन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं बताये। कंडिका 14 में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध कुनौली थाना अभिलेख में इस कांड के अलावे अन्य कोई कांड दर्ज नहीं बताया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 52, 53 एवं 54 में स्वतंत्र साक्षी छठू पासवान, बजरंगी पासवान एवं सुरेश पासवान का बयान दर्ज है जिन्होंने अपने–अपने बयानों में बताया है कि उभय पक्ष	**लगातार**

24/04/26 **लगातार**	आपस में दियाद है एवं दोनों पक्षों के बीच जमीन संबंधी विवाद को लेकर अनबन हुइ थी इसी कारण दोनों पक्षों के बीच गाली–गलौज एवं मारपीट हुई थी इसके अलावे इन साक्षियों ने अन्य कोई उल्लेखनीय बात नहीं बतायी। अभिलेख पर सूचक/जख्मी का जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध है जिससे स्पष्ट होता है कि जख्मी को जख्म कठोर व भोथरे पदार्थ से कारित की गयी है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है। कंडिका 63 से स्पष्ट होता है कि अनुसंधानकर्ता ने कांड में अनुसंधान पूर्ण कर प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान पूर्ण है आरोप पत्र समर्पित है, इसलिए प्रार्थी अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्त का साक्ष्य के साथ छेडछाड़ करने की भी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 19/01/2026 से लगभग तीन महीने से ज्यादा से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्त द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त सोमन पासवान की ओर से दाखिल **जमानत आवेदन स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार उक्त प्रार्थी अभियुक्त को निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/– रूपये के समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्त का एक जमानतदार उसके माता/पिता/नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 03. प्रार्थी अभियुक्त वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	